

197-

युवा जनता रेजिडेन्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन (रजि०)

पंजी० सं. एस-23731/1993

शारदा-वत्स एन्कलेव, प्रेमनगर-III, निकट रेलवे लाईन, दिल्ली-41

क्रमांक

दिनांक 30.4.2012

सेवा में,

श्री विनोद साकलै
निदेशक (योजना) डीडीए
पीपीआर जोन (एम एंड एन) दीपाली चौक
सेक्टर-3 नई दिल्ली रोहिणी प्रोजेक्ट आफिस
रोहिणी, दिल्ली-110085



Director (Pig.) MPR/TC,
D.D.A. Vikas Minar N. DELHI-2
Dy.No. 2202
Dated 30.4.12

Dy. No. 1710
Dc. 7-512

विषय :- मास्टर प्लान 2021 व जोनल प्लान रोहिणी जोन एम के की प्रस्तावित योजनाओं के संदर्भ में आपत्तियां एवं सुझाव।

आदरणीय साकलै जी,

आपको जानकारी है ही कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली में आवाद अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करने के लिए सूची तैयार कर रखी है और ज्यादातर कालोनियों में विजली की आपूर्ति सहित सड़कें और नालियां तैयार की जा चुकी हैं।

युवा जनता रेजिडेन्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन (रजि०), शारदा वत्स एन्कलेव, प्रेम नगर-3, निकट रेलवे लाइन, दिल्ली-110086 की आवासीय हितकारी समिति (RWA) को अवगत कराना चाहती है कि हमारी उपरोक्त कालोनी भी सरकार द्वारा नियमितकरण के लिए तैयार की गई सूची में शामिल है और हमारी कालोनी में दिल्ली सरकार द्वारा 3,55,00,000 का बजट आवंटित कर विकास कार्य जारी है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के हाथों अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करने के लिए जो प्रोविजनल सर्टीफिकेटों को वितरण करने का अक्टूबर 2008 में उद्घाटन कराकर लगभग 1200 से अधिक कालोनियों को वितरण किए गए थे वह प्रोविजनल सर्टीफिकेट भी हमारी कालोनी को मिल चुका है जिसका नियमितकरण सूची में क्रम संख्या 95 है और कालोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया जारी है। विकसित प्लानों का एरिया तकरीबन 95 प्रतिशत है।

युवा जनता रेजिडेन्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन (रजि०), शारदा वत्स एन्कलेव, प्रेम नगर-3, निकट रेलवे लाइन, दिल्ली-110086 की आवासीय हितकारी समिति (RWA) आपको अवगत कराना चाहती है कि जिस जमीन पर उपरोक्त कालोनी वर्षों से आवाद है उस जमीन पर मास्टर प्लान 2021 और जोनल प्लान रोहिणीजोन एम की प्रस्तावित योजना के तहत लघु एवं सेवा क्षेत्र का औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की योजना है। जिसके कारण उपरोक्त कालोनी का अस्तित्व संकट में पड़ चुका है।

अतः युवा जनता रेजिडेन्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन (रजि०), शारदा वत्स एन्कलेव, प्रेम नगर-3, निकट रेलवे लाइन, दिल्ली-110086 की आवासीय हितकारी समिति (RWA) आपसे आग्रह करती है कि दिल्ली उपरोक्त कालोनी जिस जमीन पर आवाद है उस जमीन पर लघु एवं सेवा क्षेत्र के लिए औद्योगिक क्षेत्र विकसित योजना को रद्द किया जाए। और इस संदर्भ में उपरोक्त आवासीय समिति के पदाधिकारी आपके समक्ष अपनी कालोनी का पक्ष रखने और प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र की योजना को रद्द करने के लिए तर्क रखने के लिए समय प्रदान करने का आग्रह करते हैं।

अजय पाल

अजय पाल यादव
प्रधान

मो०- 9310740224, 9873322828

युवा जनता रेजिडेन्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन (रजि०) (RWA)
एवं कालोनी के निवासी

J.P. Mehta
2/5
AD (RWA)